(10) मूल्य वर्धित कर (वी०ए०टी०) की ओर से अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू करने की सिफारिश की जाती है।

2. प्रशुल्क घटाने से संबंधित विशेषज्ञ दल की संस्तुतियां निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अधीन थी:—

(1) स्वदेशी फीडस्टाक अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर उपलब्ध की जाए।

(2) पूंजीगत मालों पर कर 10 प्रतिशत तक कम किया जाए।

(3) उत्प्रेरकों, रसायनों और जुड़नारों जिनका प्रयोग उद्योगों द्वारा उपभोक्ता वस्तु के रूप में किया जाता है, को 10 प्रतिशत किया जाए।

(4) सी०वी०डी० को स्वदेशी उत्पादन पर स्थानीय करों तथा हानियों को समाप्त करना चाहिए। इसकी भरपाई करने के लिए बिक्री कर पर सरचार्ज को सी०वी०डी० में शामिल किया जाना चाहिए।

(5) कीमतों में सरलता लाने के लिए वर्तमान विश्वव्यापी ओवर बिल्ट क्षमता को मद्दे नजर रखते हुए कम बड़े पैमाने पर आयात शुल्क घटाने की अपेक्षा इसे धीरे-धीरे और चरणबद्ध रूप से घटाना आवश्यक है।

(6) प्रशुल्कों को कम करना, गतिशील अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रत्युत्तर में गतिशील प्रणाली तैयार की जाए।

(7) स्वदेशी मांग को बढ़ाने और आवश्यक सामग्रियों जैसे लकड़ी, चर्म और धातु आदि का संरक्षण करने के लिए पेट्रो-रसायनों, जो कि इन वस्तुओं का विकल्प है, पर चरणबद्ध रूप में कम किया जाना चाहिए।

(8) एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अधिक क्षमता के कारण डम्पिंग संभव है और वर्तमान एंटि-डम्पिंग विधान देश में "इन्जयोर्ड" पर डम्पिंग उपलब्ध कराने का दायित्व है। अतः शुल्क कम करने, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रति उत्तर में गतिशील प्रणाली तैयार की जाए।

उर्वरकों का उत्पादन और मांग

1092. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में यूरिया और अन्य रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन, खपत और मांग कितनी-कितनी है;

(ख) 1996-97 और 1997-98 के दौरान राजस्थान में उक्त उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना-कितना था;

(ग) सरकार उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति में समुचित संतुलन कायम करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी कीमतें नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) सरकार जैविक खाद को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश में यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की खपत के रूप में उत्पादन व मांग के साथ-साथ वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राजस्थान में उर्वरकों का कुल उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) यूरिया का बिक्री मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार किसानों को नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर की जाती है। तदनुसार निर्माताओं/आयातकर्त्ताओं को सब्सिडी/रियायत का भुगतान किया जाता है ताकि वे सरकार द्वारा निर्धारित किये गये वहनीय मूल्य पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री करने में समर्थ हो सके। सब्सिडी पद्धति के माध्यम से एक ओर किसानों को उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि से बचाया जाता है, वहीं दूसरी ओर निर्माण/आयातकर्त्ता को उस कम मूल्य के लिये मुआवजा दिया जाता है जिसपर उससे किसानों को इन उर्वरकों को बेचने की अपेक्षा की जाती है।

नये संयंत्र की स्थापना/मौजूदा एककों का आधुनिकीकरण करने के लिये पूंजीगत माल के आयात के लिये रियायती शुल्क, उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को कतिपय शर्तों के साथ निर्यात सम्भावित लाभ और उर्वरक कच्चे माल व मध्यवर्तियों के आयात पर रियायती शुल्क उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि के लिये दिये जाने वाले अन्य प्रोत्साहन हैं।

(घ) भारत सरकार ने "उर्वरकों के सन्तुलित और एकीकृत उपयोग" की योजना के तहत कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.90 करोड़ रु० की सीमा तक अनुदान दिया है। पोषकों के इन स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिये किसानों के खेतों में प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान उर्वरकों की खपत के रूप में उत्पादन तथा मांग
(लाख टनों में)

उत्पादन के नाम	1996-97		1997-98	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
यूरिया	156.20	190.25	185.96	196.16
ए/एस	6.81	6.54	5.44	6.06
सीएएन	4.22	3.95	4.41	4.01
ए/सी	1.20	1.21	1.10	1.04
डीएपी	27.59	36.24	36.91	53.76
एसएसपी	30.80	30.18	31.39	36.60
कम्पलेक्सिज	35.86	35.88	35.17	37.85

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राजस्थान में उर्वरकों का उत्पादन

उत्पाद का नाम	उत्पादन (लाख टनों में)	
	1996-97	1997-98
यूरिया	12.74	13.62
एसएसपी	1.52	2.60

कूटबद्ध

ए/एस — अमोनियम सल्फेट
सीएएन — कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट
डीएपी — डाई—अमोनियम फास्फेट
एसएसपी — सिंगल सूपर फास्फेट

गैर-सरकारी उर्वरक उत्पादन करने वाले उपक्रमों का विकास

1093. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी उर्वरक उत्पादक उपक्रमों के उत्थान हेतु अब तक तैयार/लागू की गई योजनाओं का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) 1999-2000 के दौरान उन्हें कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) देश के कुल उर्वरक उत्पादन में निजी उपक्रमों के योगदान की प्रतिशतता कितनी है और इससे देश की उर्वरक की कुल उपभोग मांग को किस हद तक पूरा किया जा रहा है; और

(घ) निजी उपक्रमों के उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करने में सरकार की भूमिका क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) से (घ) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उत्पादन लागत में कमी करने के लिए उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध हैं:

(i) सामान्यतः उर्वरक उद्योग की स्थापना करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।